भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1248

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

अनाथों को गोद लेना

1248. श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में अनाथों की संख्या दर्ज की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गोद लिए गए अनाथों की राज्य- वार और लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भावी माता-पिता और गोद लिए योग्य बच्चों के बीच व्याप्त भारी अंतर का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो इस भारी अंतर और प्रतीक्षा अवधि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में सरकारी और गैर-सरकारी बाल देखभाल संस्थाओं की संख्या और उनमें अनाथों की संख्या दर्ज की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने अनाथ बच्चों के मानव दुर्व्यापार का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने अपराध दर्ज किए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में संशोधित) को प्रशासित कर रहा है। यह कानून देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करके सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(42) के अनुसार अनाथ का अर्थ एक ऐसा बच्चा है जो जैविक या दत्तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बिना है या जिसका कानूनी अभिभावक बच्चे के भरण-पोषण के लिए तैयार नहीं है या उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है। देश में दत्तक ग्रहण का कार्य हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए), 1956 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम), 2015 के माध्यम से किया जाता है। एचएएमए, 1956 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

जेजे अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए सहित देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के कार्य की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। इसी प्रकार किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। यह अधिनियम सीसीआई में रहने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखभाल और सुरक्षा के मानकों को परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के माध्यम से पारिवारिक माहौल प्रदान करना है जिसमें प्रायोजन, फोस्टर देखभाल और पश्चातवर्ती देखभाल शामिल है।

जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 27-30) के तहत बाल कल्याण समितियों को अनाथों सहित देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के संचालन की निगरानी करने का भी आदेश दिया गया है। इसी प्रकार किशोर न्याय बोर्डों को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है (धारा 04-09)। मंत्रालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) को अधिसूचित किया है जो 01.09.2022 से प्रभावी है। मंत्रालय ने 01.09.2022 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन मॉडल नियम, 2022 और 23.09.2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, को भी अधिसूचित किया है।

दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई के लिए समय सीमा तय करता है जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करेंगे; दस दिनों के भीतर गोद लेने के लिए कानूनी रूप से निःशुल्क (एलएफए) अपलोड करना; मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जांच; और पांच दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा गोद लेने के आवेदन दस्तावेजों का सत्यापण इत्यादि विभिन्न चरणों में समय-सीमा तय की गयी है। किसी बच्चे को अब फोस्टर परिवार द्वारा 5 वर्ष के प्रावधान के बजाय 2 वर्ष के बाद गोद लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सीसीआई को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पोर्टल से जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की है। इसके अतिरिक्त जेजे मॉडल नियमों (जैसा कि 2022 में संशोधित) के नियम-44 के अनुसार प्रत्येक बच्चा जिसे देश के अंतर्गत या देश से बाहर गोद लेने के लिए परिवार नहीं मिलता है और उसे हार्ड टू प्लेस श्रेणी में रखा गया है। वे जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी की सिफारिश पर सीडब्ल्यूसी द्वारा फोस्टर देखभाल में रखे जाने के लिए पात्र होंगे। 23 सितंबर 2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अधिसूचना के बाद, दत्तक ग्रहण के आदेश की लंबित संख्या 997 की पूर्ववर्ती लंबित (अधिसूचना की तारीख से पहले) से घटकर 106 हो गई है। हालाँकि, अनाथ बच्चों के दत्तक ग्रहण की मंजूरी देने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी प्रकार के विलम्ब की सूचना नहीं है।

भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) की प्रतीक्षा अवधि सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह किसी विशेष राज्य से गोद लेने वाले पीएपी की पसंद और पसंदीदा आयु समूह पर भी निर्भर करता है। जहां छह वर्ष तक के सामान्य छोटे बच्चे को गोद लेने के लिए लंबी कतार होती है वहीं विशेष जरूरतों वाले बच्चे और तत्काल प्लेसमेंट श्रेणी (ज्यादातर बड़े बच्चे) के बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले भावी माता-पिता के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, प्रतीक्षा समय केवल भावी माता-पिता के लिए प्रासंगिक है,क्योंकि बच्चा परिवार की प्रतीक्षा नहीं करता है।

भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) की लंबी प्रतीक्षा अवधि को इस तथ्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की कम संख्या की तुलना में प्रतीक्षा करने वाले माता-पिता अधिक हैं। हालाँकि, बच्चों को संस्थानों में प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक ऑनलाइन रेफरल प्रणाली है जो बच्चों को शीघ्रता से गोद लेने में सक्षम बनाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान गोद लिए गए बच्चों (अनाथ, परित्यक्त, सौंपें गए और रिश्तेदार/सौतेले) की संख्या:

वर्ष	**अंतर-देशीय**			**अंतरा-देशीय**			**कुल**		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2020-21	1286	1856	3142	183	234	417	1469	2090	3559
2021-22	1293	1698	2991	155	259	414	1448	1957	3405
2022-23	1286	1724	3010	187	244	431	1473	1968	3441

स्त्रोत: सीएआरआईएनजीएस

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात 'मिशन वात्सल्य' (तत्कालीन बाल संरक्षण सेवा योजना) क्रियान्वित कर रहा है। जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएँ शामिल हैं। सरकार देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं का सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य कार्यों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि का समर्थन करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, फोस्टर

देखभाल और देखभाल पश्चातवर्ती सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों का समर्थन करना और उन्हें बनाए रखना है; विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना; नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करना और अभिसरण कार्रवाई को सुदृढ़ करने की सम्भावना प्रदान करना।

विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत समर्थित बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या **अनुलग्नक- II** में है। विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की गैर-संस्थागत देखभाल के तहत समर्थित बच्चों की राज्य-वार कुल संख्या **अनुलग्नक -III** में है। देश भर में मिशन वात्सल्य योजना के तहत समर्थित सीसीआई की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक -IV** में है।

(ड.) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020, 2021 और 2022 की भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार बच्चों अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की मानव तस्करी के मामलों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक -V** में है।

अनुलग्नक -I

"अनाथ दत्तक ग्रहण" के संबंध में माननीय सांसद श्री गजानन द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान गोद लिए गए बच्चों (अनाथ, परित्यक्त, सौंपें गए और रिश्तेदार/सौतेले) की संख्या

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2020-21						वर्ष 2021-22						वर्ष 2022-23					
		अंतर-देशीय			अंतरा-देशीय			अंतर-देशीय			अंतरा-देशीय			अंतर-देशीय			अंतरा-देशीय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	39	36	75	13	11	24	35	40	75	3	14	17	39	50	89	3	7	10
3	अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	0	0	0	1	2	3	0	0	0	4	3	7	1	0	1
4	असम	36	40	76	3	5	8	37	52	89	1	6	7	40	47	87	3	3	6
5	बिहार	29	93	122	5	10	15	42	72	114	5	10	15	40	71	111	4	14	18
6	चंडीगढ़	5	6	11	0	0	0	4	5	9	0	0	0	1	7	8	2	0	2
7	छतीसगढ	44	51	95	6	7	13	41	51	92	3	6	9	43	44	87	7	2	9
8	दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव	1	2	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	दिल्ली	39	45	84	11	7	18	19	51	70	6	11	17	27	49	76	6	12	18
10	गोवा	10	11	21	0	0	0	8	14	22	0	0	0	5	5	10	0	1	1
11	गुजरात	48	59	107	3	12	15	48	49	97	2	8	10	38	52	90	9	9	18
12	हरियाणा	19	16	35	4	5	9	21	35	56	3	1	4	16	35	51	4	7	11
13	हिमाचल प्रदेश	0	3	3	0	0	0	4	1	5	0	0	0	2	5	7	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	5	0	0	0
15	झारखंड	44	34	78	1	4	5	32	35	67	3	4	7	37	45	82	4	5	9
16	कर्नाटक	90	137	227	8	21	29	105	145	250	12	27	39	78	110	188	20	15	35
17	केरल	62	65	127	3	7	10	52	41	93	10	6	16	58	43	101	8	5	13
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	50	91	141	6	12	18	62	66	128	5	11	16	70	69	139	5	3	8
21	महाराष्ट्र	239	354	593	38	37	75	234	265	499	25	40	65	232	250	482	38	44	82
22	मणिपुर	3	3	6	0	1	1	1	2	3	2	0	2	4	0	4	0	0	0
23	मेघालय	7	10	17	0	1	1	8	2	10	1	0	1	13	20	33	0	0	0
24	मिजोरम	8	22	30	5	2	7	6	20	26	3	1	4	17	19	36	0	1	1
25	नागालैंड	10	2	12	5	1	6	6	7	13	2	2	4	2	5	7	1	2	3
26	ओडिशा	76	94	170	4	5	9	65	85	150	10	18	28	73	90	163	9	16	25
27	पुदुचेरी	4	6	10	0	0	0	4	6	10	0	0	0	7	3	10	0	0	0
28	पंजाब	13	33	46	12	12	24	15	23	38	5	11	16	8	34	42	11	19	30
29	राजस्थान	42	87	129	11	10	21	54	75	129	7	6	13	47	56	103	7	9	16
30	सिक्किम	11	7	18	0	0	0	19	20	39	0	0	0	21	23	44	0	0	0

31	तमिलनाडु	137	216	353	11	11	22	129	165	294	12	12	24	146	197	343	13	16	29
32	तेलंगाना	41	85	126	9	12	21	61	117	178	13	19	32	60	129	189	17	19	36
33	त्रिपुरा	4	10	14	0	0	0	7	4	11	0	0	0	4	6	10	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	72	125	197	15	27	42	73	101	174	9	30	39	70	139	209	3	13	16
35	उत्तराखंड	7	9	16	0	4	4	5	9	14	1	3	4	13	17	30	1	4	5
36	पश्चिम बंगाल	96	101	197	10	10	20	94	135	229	12	13	25	67	98	165	11	18	29
कुल		**1286**	**1856**	**3142**	**183**	**234**	**417**	**1293**	**1698**	**2991**	**155**	**259**	**414**	**1286**	**1724**	**3010**	**187**	**244**	**431**

स्त्रोत:आरआईएन जीएस

अनुलग्नक -II

"अनाथ दत्तक ग्रहण" के संबंध में माननीय सांसद श्री गजानन द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत समर्थित बाल देखभाल संस्थानों में लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
		लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	3012	3069	1504
2	अरुणाचल प्रदेश	195	147	206
3	असम	1624	1378	1380
4	बिहार	1844	2372	2088
5	छत्तीसगढ़	2169	2167	1974
6	गोवा	798	685	526
7	गुजरात	1946	1299	1651
8	हरियाणा	2017	1786	1239
9	हिमाचल प्रदेश	1264	1147	805
10	जम्मू कश्मीर	759	579	817
11	झारखंड	1767	1537	1219
12	कर्नाटक	4303	3974	3182
13	केरल	591	1380	697
14	मध्य प्रदेश	2976	2982	2292
15	महाराष्ट्र	3716	3468	3654
16	मणिपुर	1966	1980	2121
17	मेघालय	975	915	972
18	मिजोरम	1018	776	914
19	नागालैंड	770	597	493
20	ओडिशा	7392	7077	4153
21	पंजाब	681	685	607
22	राजस्थान	5130	3670	2560
23	सिक्किम	519	534	526
24	तमिलनाडु	13819	13877	7785
25	त्रिपुरा	832	875	829

26	उत्तर प्रदेश	4965	4722	3238
27	उत्तराखंड	511	457	700
28	पश्चिम बंगाल	5257	6494	6220
29	तेलंगाना	1626	2822	1129
30	अंडमान एवं निकोबार	360	301	308
31	चंडीगढ़	297	153	202
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	60	5	28
33	लद्दाख	0	0	25
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	दिल्ली	1500	1835	1206
36	पुदुचेरी	956	373	690
कुल		**77615**	**76118**	**57940**

अनुलग्नक -III

"अनाथ दत्तक ग्रहण" के संबंध में माननीय सांसद श्री गजानन द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की गैर-संस्थागत देखभाल के तहत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य-वार कुल संख्या

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	वित्त वर्ष **2020-21**	वित्त वर्ष **2021-22**	वित्त वर्ष **2022-23**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52	52	0
2	आंध्र प्रदेश	144	144	9150
3	अरुणाचल प्रदेश	317	318	840
4	असम	434	434	858
5	बिहार	1646	1646	504
6	चंडीगढ़	67	67	199
7	छत्तीसगढ़	1250	1250	288
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	156	156	519
9	दिल्ली	521	521	980
10	गोवा	13	13	27
11	गुजरात	1438	1438	506
12	हरियाणा	1042	1042	5155
13	हिमाचल प्रदेश	563	563	1347
14	जम्मू एवं कश्मीर	980	979	1398
15	झारखंड	1125	1125	3086
16	कर्नाटक	1375	1375	3875
17	केरल	323	323	1133
18	लद्दाख	0	0	29
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	2188	2188	2377
21	महाराष्ट्र	1688	1688	9844
22	मणिपुर	730	729	1120
23	मेघालय	489	490	1028
24	मिजोरम	396	396	591

25	नागालैंड	521	521	752
26	ओडिशा	1375	1375	1772
27	पुदुच्चेरी	198	198	106
28	पंजाब	263	263	612
29	राजस्थान	1438	1438	239
30	सिक्किम	188	188	323
31	तमिलनाडु	1521	1521	2975
32	तेलंगाना	1563	1563	6454
33	त्रिपुरा	364	365	305
34	उत्तर प्रदेश	3313	3313	1766
35	उत्तराखंड	573	573	847
36	पश्चिम बंगाल	1083	1083	1670
कुल		**29337**	**29338**	**62675**

अनुलग्नक -IV

"अनाथ दत्तक ग्रहण" के संबंध में माननीय सांसद श्री गजानन द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या

क्र. सं.	**राज्य**	वर्ष के दौरान सीसीआई की संख्या		
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	92	92	84
2	अरुणाचल प्रदेश	6	8	11
3	असम	67	64	67
4	बिहार	65	80	78
5	छत्तीसगढ़	87	85	83
6	गोवा	24	23	25
7	गुजरात	78	81	78
8	हरियाणा	52	50	49
9	हिमाचल प्रदेश	36	37	38
10	जम्मू कश्मीर	14	16	39
11	झारखंड	55	50	50
12	कर्नाटक	153	164	154
13	केरल	44	41	47
14	मध्य प्रदेश	100	103	104
15	महाराष्ट्र	102	107	112
16	मणिपुर	80	81	86
17	मेघालय	52	52	54
18	मिजोरम	50	49	49
19	नागालैंड	44	43	44
20	ओडिशा	133	130	140
21	पंजाब	25	25	27
22	राजस्थान	146	159	156
23	सिक्किम	22	22	23
24	तमिलनाडु	229	225	221
25	त्रिपुरा	34	33	34
26	उत्तर प्रदेश	120	104	100

27	उत्तराखंड	32	32	33
28	पश्चिम बंगाल	132	137	164
29	तेलंगाना	51	56	62
30	अंडमान एवं निकोबार	11	12	10
31	चंडीगढ़	8	8	8
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	4	4
33	लद्दाख	0	0	1
34	लक्षद्वीप	0	1	1
35	दिल्ली	40	42	39
36	पुदुचेरी	28	29	30
कुल		**2215**	**2245**	**2305**

अनुलग्नक -V

"अनाथ दत्तक ग्रहण" के संबंध में माननीय सांसद श्री गजानन द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 में बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति) की मानव तस्करी के मामलों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	23	58	14
2	अरुणाचल प्रदेश	13	3	1
3	असम	84	215	123
4	बिहार	123	311	613
5	छत्तीसगढ़	35	43	26
6	गोवा	1	0	0
7	गुजरात	65	5	6
8	हरियाणा	7	21	13
9	हिमाचल प्रदेश	2	4	0
10	झारखंड	114	146	129
11	कर्नाटक	2	5	7
12	केरल	184	219	140
13	मध्य प्रदेश	79	87	91
14	महाराष्ट्र	49	52	56
15	मणिपुर	4	4	0
16	मेघालय	1	1	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	159	497	353
20	पंजाब	65	11	12
21	राजस्थान	815	417	453
22	सिक्किम	2	0	0
23	तमिलनाडु	24	16	3
24	तेलंगाना	32	222	63

25	त्रिपुरा	2	0	0
26	उत्तर प्रदेश	61	40	73
27	उत्तराखंड	9	9	7
28	पश्चिम बंगाल	53	50	78
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	3	2	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	0	0
32	दिल्ली	202	437	605
33	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	10
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	5	0	2
	कुल	**2222**	**2877**	**2878**